Construction of sheds of Porters

*542. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to construct some residential open common sheds at and near important bigger railway stations for the convenience of the hundreds of shelterless and helpless authorised railway porters; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). There is no proposal to provide residential accommodation for licensed porters at and near railway stations. However, Rest Shelters with baths and drinking water facilities are being provided on a programmed basis at important railway stations for the use of licensed porters.

अशोधित तेल की रायल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में गुजरात सरकार की ओर से सुझाव

*543. श्री धर्म भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अशोधित तेल की रायल्टी का भुगतान करने के लिए इस समय क्या मापदण्ड अपनाया जाता है और क्या गुजरात सरकार ने इस में परिवर्तन करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : कच्चे तेल पर स्वामित्व की दर अन्य बातों के साथ-साथ वैलहैड (कूप-मुख) अथवा तेल क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, में कच्चे तेल के देशी उत्पादनकर्ताओं को जिस बिक्री मूल्य की अनुमति दी जाती है को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है । कच्चे तेल और केसिंग-हैड कंण्डैन्सेट पर रायल्टी की दर में आठ सितम्बर, 1976 से 15 रुपये प्रति मी० टन से बढ़ा कर 42 रुपये प्रति मी० टन तक कर दी गई थी । गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है कि रायल्टी की दर मध्य-पूर्व देशों के कच्चे तेल की पूर्ण अंकित समतुल्य मूल्य का कम से कम 10 प्रतिशत पर निर्धारित की जानी चाहिए । तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत रायल्टी की दर में 4 वर्ष में केवल एक बार वृद्धि की जा सकती है ।

औषधियों के मूल्य

*544. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औषध निर्माता कम्पनियों ने बहुत सी औषधियों के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) क्या हाथी समिति ने यह सिफारिश की है कि कुछ औषधियों के मूल्यों में कमी की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध निर्माता कम्पनियों से विभिन्न औषधों के मूल्यों में वृद्धि के लिए कोई आम मांग प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य संशोधन के लिए विशिष्ट आवेदनों पर, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अपेक्षित लागत जांच के बाद, औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है ।

(ख) हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के बारे में सिफारिशें की हैं ।